प्रश्न सं. [क्र. 1011]

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट "3"

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 879/2008/नियम/चार /395

भोपाल, दिनांक 23 मई, 2008

प्रति,

प्रमुख सचिव / सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
जल संसाधन / लोक निर्माण /
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय : - बुक ऑफ फायनेन्शियल पॉवर्स 1995 के भाग-2 में संशोधन (जल संसाधन / लोक निर्माण / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / ग्रामीण विकास विभाग)।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 159/293/2002/सी/चार दिनांक 31.01.2002 एवं बुक ऑफ फायनेन्शियल पॉवर्स 1995 के भाग-2 में निर्माण विभागों को सरल क्रमांक 32(ए) पर सौंपे गये अधिकारों में तथा सरल क्रमांक 113 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रत्यायोजित किये गये अधिकार यथावत रहेगें : -

Financial Powers in respect of The Works Department

S.No.	Description	Authority Competent to Exercise of the Power	Extent of Delegation	Conditions
32	To accept tenders for works – (a) Except for lump sum tenders & purchases	1. Engineer-in-Chief	up to Rs. 7.50 crores	Provided that the rate of tender is not more than 5% above the current schedule of rates
		2. Chief Engineer	up to Rs. 5.00 crores	Provided that the rate of tender is not more than 5% above the current schedule of rates
		3. Superintending Engineer	up to Rs. 2.00 crores	Provided that the rate of tender is not more than 5% above the current schedule of rates
		4. Executive Engineer	up to Rs. 20.00 Lakhs	Provided that the tender is not more then 20% above the current schedule of rates Provided further that the above powers will be exercised by the authority under the administrative directions / guidelines issued by the Administrative Department from time to time.
113	Powers to accord technical sanction to estimates	1. Chief Engineer 2. Superintending Engineer 3. Executive Engineer	Full Powers up to Rs. 3.00 Crore up to Rs. 20.00 lakhs	

यह संशोधन आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए. पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय